"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च 2017—फाल्गुन 12, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. (1983), अपर मुख्य सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री एन. के. असवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संतोष कुमार मिश्र, भा.प्र.से. (2000), सचिव, जनसंपर्क विभाग, सचिव संस्कृति एवं पर्यटन, तथा सचिव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग केवल सचिव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002), प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. जलग्रहण विकास क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. जलग्रहण विकास क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002), द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री भुवनेश यादव, (भा.प्र.से.-2006), संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

2. सुश्री ऋतु सैन, भा.प्र.से. (2003), मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2017

क्रमांक ई 7-22/2004/एक-2.—श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से को दिनांक 20-12-2016 से दिनांक 31-12-2016 तक स्वीकृत अर्जित अवकाश (दिनांक 01-01-2017 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ते हुए) में से दिनांक 23-12-2016 से 31-12-2016 तक 09 दिवस के अर्जित अवकाश (दिनांक 01-01-2017 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ते हुए) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-19(1) के प्रावधान अनुसार लघुकृत अवकाश में परिवर्तित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2017

क्रमांक 143/1733/2016/1-8/स्था.—श्री नोहर राम साहू, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, का दिनांक 15-11-2016 से 25-11-2016 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नोहर राम साहू, आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री नोहर राम साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नोहर राम साहू, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्रमांक 151/1224/2017/1-8/स्था.—श्रीमती नलिनी माथुर, अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, का निम्नांकित अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अर्जित अवकाश	दिनांक 02-12-2016 से 09-12-2016 तक	08 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 20-12-2016 से 26-12-2016 तक	07 दिवस

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती नलिनी माथुर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती नलिनी माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नलिनी माथुर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्रमांक 153/31/2013/1-8/स्था.—श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, को दिनांक 26-12-2016 से 07-01-2017 तक 13 दिवस का (दिनांक 08-01-2017 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, आगामी आदेश तक अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2017

क्रमांक 179/1113/2006/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 16-01-2017 से 20-01-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय आगामी आदेश तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्रमांक 199/945/2011/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा विभाग, का दिनांक 16-01-2017 से 20-01-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा विभाग, के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वाय. पी. दुपारे, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्रमांक 211/444/2014/1-8/स्था.—श्री जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, का दिनांक 09-02-2017 से 15-02-2017 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. अवस्थी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जे. एन. अवस्थी, को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2017

क्रमांक 327/53/2013/1-8/स्था.—श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, का दिनांक 29-11-2016 से 03-12-2016 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्रमांक 387/LV-14-1-2017/Jan./1-8/स्था.—श्री जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 09-01-2017 से 17-01-2017 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जेवियर केरकेट्टा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जेवियर केरकेट्टा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जेवियर केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्रमांक 389/LV-25-1-2017/1-8/स्था.—श्री एस. के. दुबे, उप संचालक (वित्त) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, को दिनांक 30-01-2017 से 03-02-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दुबे, आगामी आदेश तक उप संचालक (वित्त) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुबे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्रमांक 391/LV-44-2-2017/1-8/स्था.—श्री एस. के. चौधरी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 30-01-2017 से 04-02-2017 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी, आगामी आदेश तक में उप सचिव के पद पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग में पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. चौधरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2017

क्रमांक/एफ 01-11/2016/10-भा.व.से.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24-01-2017 द्वारा श्री के. सी. बेवर्ता (IFS-1983) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज/समन्वय) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है.

2. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. सी. बेवर्ता (IFS-1983) प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड रायपुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-15/2006/10-भा.व.से.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गुरूनाथन एन., भा.व.से. (2012) वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर को विभागीय परीक्षा दिनांक 24-05-2016 को उत्तीर्ण कर लेने के फलस्वरूप भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के अनुसूची-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 11 में नियमानुसार देय वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (Senior Time Scale) रु. 67700-208700 में दिनांक 24-05-2016 से नियुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-15/2006/10-भा.व.से.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गुरूनाथन एन., भा.व.से. (2012) वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर को विभागीय परीक्षा दिनांक 24-05-2016 को उत्तीर्ण कर लेने के फलस्वरूप भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के अनुसूची-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 11 में नियमानुसार देय वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (Senior Time Scale) रु. 67700-208700 में दिनांक 24-05-2016 से नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्रमांक 2/F-06-01001226/2017/वित्त/वि.आ.प्र.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 02/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.अ.प्र., दिनांक 20 जनवरी, 2016 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 31-01-2017 से 31-01-2018 तक वृद्धि करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्रमांक 2/F-06-01001226/2017/वित्त/वि.आ.प्र.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस अधिसूचना क्रमांक 2 दिनांक 31-01-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 31st January 2017

No. 2/F-06-01001226/2017/Fin./FCC.—In exercise of the powers conferred by Article 343-I of the Constitution of India and in pursuance of this department Notification No. 02/L 8-9 (Part) 2016/Fin/FCC., dated 20th January 2016, the Governor of Chhattisgarh, hereby, extends the tenure of the State Finance Commission from the date of 31-01-2017 to 31-01-2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SINGH, Deputy Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 7-14/2016/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 13-6-2016 के द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2032 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुऐ, दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 की स्वीकार्य उपयोग की सारणी

क्रमांक-04-सा-22 में उपांतरण

क्र. (1)	सारणी का क्रमांक (2)	भूमि उपयोग परिक्षेत्र (3)	सारणी के कालम-04-सा-22 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियॉ जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए (4)
1.	04-सा-22	औद्योगिक	औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित शैक्षणिक परिसर

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित शैक्षणिक परिसर के प्रयोजन हेतु.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2017

क्रमांक-एफ-1-51/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती पारूल माथुर, (भापुसे-2008) पुलिस अधीक्षक, रेल, रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 07-02-2017 से 17-02-2017 तक (कुल 11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा साथ ही दिनांक 18 एवं 19-02-2017 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारूल माथुर, (भापुसे-2008) पुलिस अधीक्षक, रेल, रायपुर (छ.ग.) के पद पर पदस्थ होंगीं.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पारूल माथुर (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

5. श्रीमती पारूल माथुर, (भापुसे-2008) के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, रेल, रायपुर (छ.ग.) का प्रभार श्री बालाजीराव सोमावार, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर (छ.ग.) को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 07 फरवरी 2017

क्रमांक-एफ-3-11/2016/बजट/दो-गृह.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता हैं :—

क्र.	थाना/तह./जिला का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना/तह./जिला का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है	क्षेत्र का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवीन चौकी-कुदरगढ़, थाना व तह.-ओड़गी, जिला-सूरजपुर.	थाना-ओड़गी, तहसील-ओड़गी जिला-सूरजपुर.	कुदरगढ़	18
			बमना	18
			धूर	18
			चपदा	19
			भंवरखोह	19
			आनंदपुर	19
			कुप्पी	19
			कुन्दौर (गंगापुर)	19
			कर्री	20
2.	नवीन चौकी-चिल्फी, थाना व तह.-लोरमी, जिला-मुंगेली.	थाना व तह.-लोरमी, जिला-मुंगेली	चिल्फी	28
			खेकतरा	26
			नथेलापारा	27
			बैजलपुर	28
			फुलझर	15
			खपरीकला	29
			बोड़तरा	26
			मुछैल	25
			आंछीडोंगरी	13
			राम्हेपुर	38
			नवरंगपुर	02
			डिडौरी	35
			लीलापुर	14
			गोल्हापारा	28
			पथर्रा	17
			छीतापार	36
			जोतपुर	36
			धरमपुरा	16
			फुलवारी	15
			कुटेलाटोला	15
			रैतराखुर्द	17
			गातापार	31
			खैरा (खुर्द)	14
			हरदी	26
			भस्करा	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			धाठापानी	16
			चकला	36
			दाऊकापा	36
			लाखापुरी	14
			सेनगुड़ा	16
			घठोली	28
			सिलतरा	25
			रजपालपुर	35
			खैरवारखुर्द	27
			रंगियापारा	27
			परदेशीकापा	27
			ईलचपुर	35
			खपरीखुर्द	16
			लालसायकापा	14
			गैलूगांव	35
			फौजदारकापा	12
			सहसपुर	28
			दाढ़ीपारा	27
			डुमरहा	29
			करूहानार	12
			पीथमपुर (डबरी)	12
			मेघापारा	28
03.	नवीन चौकी-तुमड़ीबोड़ थाना-लालबाग, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	थाना-तह.-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव	तुमड़ीबोड़	03
			कोपेडीह	03
			नाथू नवागांव	03
			मचानपार	06
			धौराभाठा	06
			दीवानभेड़ी	21
			खैरी	06
			दीवानझिटीया	06
			कोहका	07
			ढाबा	07
			पेन्डरवाणी	07
			जारवाही	07
			औडारबांध	08
			टोलागांव	08
			जामसराईखुर्द	09
			मलईडबरी	09
			टप्पा	09
			तिलईखार	09
			विचारपुर नवागांव	10
			सांगीनकछार	10
			खम्हेरा	12
			गाताटोला	09
			माहुल झोपड़ी	09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-लालबाग, तह.-डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव.	बरहापुर	02
			सिवनीखुर्द	02
			आलीखुंटाकंवर	03
			आरगांव	02
			बोदेला	02
			पेटेश्री	02
			झिटिया	01
			हरदी	01
			टेका	01
			कन्हारडबरी	01
04.	नवीन चौकी-सुरगी, थाना-बसंतपुर, तह. व जिला-राजनांदगांव.	थाना-लालबाग (ग्रामीण), तह. व जिला-राजनांदगांव.	सुरगी	32
			हल्दीघाट	34
			भोड़िया	41
			ढोड़िया	40
			सिंघोला	25
			मलपुरी	39
			भोथीपार कला	40
			भोथीपार खुर्द	33
			आलीखुटा	33
			रानीतराई	40
			महराजपुर	33
			उसरीबोड़	40
			मुड़पार	32
			धामनसरा	33
			जंगलेशर	35
			खैरा	26
			रवेली	36
			बेलटिकरी	39
			कुम्हालोरी	32
			कोटराभाटा	03
			बुचीभरदा	31
			आरला	39
			मोखला	39
			भर्रेगांव	15
			कुसमी	18
			पार्रीखुर्द	20
			भंवरमरा	08

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2017

क्रमांक/एफ 1-11/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुन्दरराज पी. (भापुसे-2003) उप पुलिस महानिरीक्षक, एस.आई.बी., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक, दंतेवाड़ा रेंज के पद पर पदस्थ करते हुये उनका मुख्यालय जगदलपुर निर्धारित करता है.

2. उप पुलिस महानिरीक्षक, दंतेवाड़ा रेंज के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बस्तर रेंज के समस्त जिले शामिल होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-11/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. आर. पी. कल्लूरी, भापुसे (1994) पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, बस्तर (छ.ग.) की अस्वस्थता के कारण उनके अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, बस्तर (छ.ग.) का अतिरिक्त प्रभार श्री सुन्दरराज पी., भापुसे (2003), उप पुलिस महानिरीक्षक, दंतेवाड़ा रेंज, जगदलपुर (छ.ग.) को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 7-02/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. आर. पी. कल्लूरी, (भापुसे-1994) पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज (छ.ग.) को दिनांक 01-02-2017 से 90 दिवस (दिनांक 01-05-2017) तक के लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश काल में श्री कल्लूरी को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. पी. कल्लूरी (भापुसे 1994) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2017

क्रमांक एफ-07-01/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दिव्यांग कुमार पटेल, (भापुसे-2014) पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को स्वयं के विवाह हेतु दिनांक 06-02-2017 से 06-03-2017 तक (कुल 29 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा साथ ही दिनांक 05-02-2017 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दिव्यांग कुमार पटेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पटेल को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिव्यांग कुमार पटेल (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री दिव्यांग कुमार पटेल, (भापुसे) के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) का प्रभार श्री नरेन्द्र कुमार बेंताल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, गौरेला, जिला बिलासपुर को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2016

क्रमांक 03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	नेवसा प.ह.नं. 13	1.594	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, जि. बिलासपुर (छ.ग.)	लहरानाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्रमांक 4/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-लासाटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	298	0.15
योग		0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डुण्डेरा भुरकाभाट मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सिंह राणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर (छ.ग.)

ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 02 मार्च 2017

क्रमांक/एल.एफ.ए/प्रशा./2017/1705.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा नियम 1961 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो नीचे लिखित अनुसार दिनांक 20-03-2017 से 24-03-2017 तक होगी :—

भाग-एक

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	समय (6)
1.	प्रथम	20-03-2017	सोमवार	संक्षेपिका तथा प्रारूप (पुस्तक रहित)	3.00 घंटे प्रात: 11.00 से 2.00 बजे
2.	द्वितीय	21-03-2017	मंगलवार	मूलभूत नियम, सिविल लेखा विनियम इत्यादि (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रात: 11.00 से 1.30 बजे
3.	तृतीय	22-03-2017	बुधवार	लेखा परीक्षा तथा लेखा संहिताएं (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रात: 11.00 से 1.30 बजे
4.	चतुर्थ-अ	23-03-2017	गुरुवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (सैद्धांतिक) (पुस्तक रहित)	1.30 घंटे प्रात: 11.00 से 12.30 बजे
5.	चतुर्थ-ब	24-03-2017	शुक्रवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (व्यावहारिक) (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रात: 11.00 से 1.30 बजे

भाग-दो

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	समय (6)
1.	प्रथम-अ	20-03-2017	सोमवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (सैद्धांतिक) (पुस्तक रहित)	1.30 घंटे दोपहर 11.00 से 12.30 बजे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	प्रथम-ब	21-03-2017	मंगलवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (व्यावहारिक) (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे दोपहर 11.00 से 01.30 बजे
3.	द्वितीय	22-03-2017	बुधवार	भारत का संविधान (पुस्तक सहित)	3 घंटे दोपहर 11.00 से 02.00 बजे
4.	तृतीय	23-03-2017	गुरुवार	वाणिज्यिक बहीखाता (पुस्तक रहित)	2 घंटे दोपहर 11.00 से 01.00 बजे
5.	चतुर्थ	24-03-2017	शुक्रवार	स्थानीय नियम तथा लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे 11.00 से 01.30 बजे

जनक प्रसाद पाठक,
संचालक.